प्रेषक,

अनिल कुमार–**XI**, **UPID**–1819
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद–संत कबीर नगर।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद–संत कबीर नगर।

विषयः–समय पूर्व स्थानांतरण के संबंध में।

आदरणीय महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि–

1– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या –549/एडमिन (सर्विसेज)/2023 दिनांकित–27 अप्रैल, 2023 के द्वारा प्रार्थी का स्थानांतरण वार्षिक स्थानांतरण सूची में लघुवाद न्यायाधीश सहारनपुर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा के पद पर हुआ था।

2– प्रार्थी की माँ श्रीमती सूरज मुखी लगभग 85 वर्षीय वृद्ध विधवा है तथा हृदय, अस्थमा, गठिया आदि एवं वृद्धावस्था जनित विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है तथा चलने–फिरने व यात्रा करने में असमर्थ हैं, जिनका इलाज आगरा में चल रहा है। प्रार्थी को अपनी माँ की देखभाल आदि के संबंध में समय–समय पर आगरा जाना पड़ता है।

3– प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों पर उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद को अपना प्रत्यावेदन दिनांकित–04.05.2023 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय बांदा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रेषित किया गया था। प्रार्थी के प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विज्ञप्ति संख्या –1617/एडमिन (सर्विसेज)/2023 दिनांकित– 22 मई, 2023 के द्वारा प्रार्थी का स्थानांतरण जनपद बांदा से जनपद कानपुर नगर में किया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक–24.05.2023 को अपराह्न में जनपद कानपुर नगर में लघुवाद न्यायाधीश के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था। प्रार्थी द्वारा किसी की प्रकार का प्रत्यावेदन जनपद कानपुर नगर से स्थानांतरित किये जाने हेतु प्रेषित नहीं किया गया था , किन्तु मात्र पांच माह पश्चात ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या–2229/एडमिन (सर्विसेज)/2023 दिनांकित 18 नवम्बर 2023 प्रार्थी का स्थानांतरण जनपद कानपुर नगर से जनपद संत कबीर नगर में मध्य सत्र में ही कर दिया गया, जिसके कारण प्रार्थी को अपने पुत्रों की शिक्षा सुचारू रखने के साथ अपनी विधवा वृद्ध मां की देखभाल किया जाना अत्यधिक कष्टप्रद हो गया है।

4– प्रार्थी की माँ के विगत छः माह के चिकित्सीय प्रपत्र व संबंधित चिकित्सक का प्रमाण पत्र आदि जो मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा से सत्यापित/काउन्टरसाइन कराकर व सी.एम.एस. आगरा द्वारा स्वयं परीक्षण उपरान्त जारी पर्चा व प्रपत्रो की स्कैन कापी इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

(क)–सी.एम.एस. आगरा द्वारा जांचोपरान्त निर्गत पर्चे में नान केस आफ सी०ओ०पी०डी०(फेफड़े की गंभीर बिमारी) और लिवर की समस्या हृदय का तेज और अनियमित गति से धड़कने व दोनो घुटनों के पुराने गठिया रोग से ग्रसित होने तथा दोनो आंखो में देखने हेतु लेन्स पड़े होने का उल्लेख अपने पर्चे में किया है(सी.एम.एस. द्वारा अपने पर्चे में अंकित तथ्यों के संबंध में, जो बताया गया)।

(ख)–सी.एम.एस. आगरा द्वारा अपने पर्चा में प्रार्थी की माँ का प्राइवेट चिकित्सक से ईलाज होने के

14/05/2024

तथ्य का भी उल्लेख किया है तथा प्राइवेट चिकित्सक के ईलाज और उसके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जो मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है, में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उन्हें नियमित ईलाज एवं आकस्मिक चिकित्सा की सदैव आवश्यकता रहती है।

5- प्रार्थी के पिता जिलाधिकारी कार्यालय आगरा से वर्ष 1991 में वरिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जिनकी मृत्यु 2 अक्टूबर, 2010 को हो चुकी है। पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन प्रार्थी की माँ के पेंशन/बचत खाते जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा फाउन्ड्री नगर आगरा में स्थित है, से आहरित होती है। प्रार्थी की माँ अशिक्षित है तथा उम्र लगभग 85 वर्ष होने के कारण बैंक से नियमानुसार माँ को न तो चेक बुक निर्गत की गयी है और न ही किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पेंशन की धनराशि का आहरण कराया जा सकता है। पारिवारिक पेंशन आदि की निकासी हेतु वृद्ध माँ को समय-समय पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा फाउन्ड्री नगर आगरा में व्यक्तिगत रूप से ले जाया जाता है। जहाँ संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहचान व शिनाख्त करने के उपरान्त पूर्ण संतुष्ट होने पर ही धनराशि आहरित की जाती है।

6- यहाँ यह भी अवगत कराना है कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु निर्धारित व्यवस्था अनुसार प्रार्थी की माँ को वर्ष में कम से कम 2 बार मुख्य कोषाधिकारी आगरा के समक्ष उनके जीवित होने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। प्रार्थी की माँ के दोनो घुटनो में अत्याधिक पुराना गठिया रोग होने के कारण वह चलने फिरने व लम्बी दूरी की यात्रा करने मे पूर्णतः असमर्थ है।

7- प्रार्थी की माँ श्रीमती सूरज मुखी लगभग 85 वर्षीय वृद्ध विधवा है तथा पिता की मृत्यु के उपरान्त पारिवारिक पेन्शन व मकान एवं अन्य प्रतिष्ठानों से किराये के रूप में आय अर्जित की जाती है , जिसकी आयकर विवरणी प्रतिवर्ष आयकर विभाग में दाखिल की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23(असेसमेन्ट वर्ष 2023-24) में प्रार्थी के मां की कुल वार्षिक आय (पेन्शन एवं अन्य स्रोत को मिलाकर) मु० 5,24,140/-रू० थी। आयकर विभाग में दाखिल आयकर विवरणी की प्रति संलग्न की जा रही है।

8- प्रार्थी के बड़े सगे भाई श्री राजेन्द्र कुमार उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में रहते हुए जनपद न्यायाधीश पीलीभीत के पद से दिनांक 31.10.2015 को सेवानिवृत्त हो चुके है तथा वर्तमान में उनकी उम्र लगभग 68 वर्ष है। वह हेपेटाइटिस-बी रोग से ग्रसित है जिनका इलाज इस्टीट्यूट आफ लिवर एण्ड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली में चल रहा है। वह माँ की देखभाल करने में असमर्थ है। भाई के चिकित्सीय पर्चे इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी के सगे बड़े भाई श्री राजेन्द्र कुमार की पेन्शन आदि से वित्तीय वर्ष 2022-23(असेसमेन्ट वर्ष 2023-24) में कुल वार्षिक आय मु० 10,74,560/-रू० थी। आयकर विभाग में दाखिल आयकर विवरणी की प्रति संलग्न की जा रही है।

9- प्रार्थी के मझले भाई श्री राजेश कुमार की उम्र लगभग 53 वर्ष है। वह भी हेपेटाइटिस-बी रोग से ग्रसित है जिनका इलाज इस्टीट्यूट आफ लिवर एण्ड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली में चल रहा है। वह भी माँ की देखभाल करने में असमर्थ है। भाई के चिकित्सीय पर्चे इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी के मझले भाई श्री राजेश कुमार की ठेकेदारी व व्यपार आदि से वित्तीय वर्ष 2022-23(असेसमेन्ट वर्ष 2023-24) में कुल वार्षिक आय मु० 3,87,770/-रू० थी। आयकर विभाग में दाखिल आयकर विवरणी की प्रति संलग्न की जा रही है।

10- प्रार्थी तीन सगी बड़ी बहने हैं जो विवाहित है तथा अपने-अपने परिवारों के साथ दूरस्थ जनपदों में रहते हैं, वह भी प्रार्थी की वृद्ध माँ की नियमित देखभाल करने अथवा इलाज हेतु समय-समय पर आगरा में चिकित्सक को दिखाने ले जाने अथवा किसी भी आपात स्थिति में शीघ्रता से माँ के पास पहुंचने में असमर्थ हैं।

11- प्रार्थी के गृह जनपद आगरा से प्रार्थी के वर्तमान तैनाती जनपद संत कबीर नगर की दूरी लगभग 600 किमी० है तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रार्थी अपने तैनाती स्थल से अपने गृह जनपद शीघ्रता से पहुंचने में असमर्थ है।

12- उक्त कथनों के समर्थन में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

14/05/2024

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी की वृद्ध विधवा माँ के इलाज व प्रार्थी की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का आगरा के आस -पास किसी भी जनपद में स्थानान्तरण करने की कृपा करें, जिससे प्रार्थी अपने न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ-साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए अपनी माँ का नियमित बेहतर ईलाज कराने व माँ की सेवा आदि दायित्वों का भी सम्यक निर्वहन कर सकें। प्रार्थी माननीय महोदय का सदैव अभारी रहेगा।

आदर सहित।

भवदीय,

14/05/2024

दिनांक 14.05.2024

(अनिल कुमार-XI)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संत कबीर नगर।
J.O.Code-UP1819

संलग्नकः-

1. प्रार्थी का शपथ पत्र।

2. सी.एम.एस. आगरा द्वारा स्वयं जांचोपरान्त जारी पर्चा एवं प्रमाण पत्र।

3. सी.एम.एस. आगरा द्वारा कराये गये चिकत्सीय परीक्षण रिपोर्ट की स्कैन कापी।

4. प्रार्थी की माँ के विगत छः माह के चिकित्सीय प्रपत्र व संबंधित चिकित्सक का प्रमाण पत्र आदि मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा से सत्यापित/काउन्टरसाइन प्रपत्र।

5. प्रार्थी की माँ के आयकर विवरणी प्रपत्र।

6. प्रार्थी के सगे बड़े भाई श्री राजेन्द्र कुमार के ईलाज के प्रपत्र।

7. प्रार्थी के सगे बड़े भाई श्री राजेन्द्र कुमार के आयकर विवरणी प्रपत्र।

8. प्रार्थी के सगे मझले भाई श्री राजेश कुमार के ईलाज के प्रपत्र।

9. प्रार्थी के सगे मझले भाई श्री राजेश कुमार के आयकर विवरणी प्रपत्र।